जिन्हें निशाना बनाया जाता है उन्हें संरक्षण की ज्यादा जरूरत : सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली 26 अक्तूबर।

● **अदालत** ने रिपोर्टिंग में जवाबदेही की भावना पर जोर दिया

महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कुछ लोगों को जानबूझकर पुरजोर ढंग से निशाना बनाया जाता है। ऐसे लोगों को ज्यादा संरक्षण की जरूरत है। टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द करने के बंबई हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े बोले–अदालत को रिपोर्टिंग में जवाबदेही की भावना की तलाश है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा–मैं बेलाग–लपेट कह रहा हूं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिपोर्टिंग उत्तरदायित्वपूर्ण होनी चाहिए। हमें जिस तरह का लोक विमर्श चाहिए, यह वैसा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है समाज में शांति और सद्भाव। कोई भी सवालों से परे नहीं हो सकता। महाराष्ट्र सरकार ने दलील दी है कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआइआर भड़काऊ टिप्पणियां करने पर दर्ज की गई थी। राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बंबई हाईकोर्ट के तीस जून के आदेश पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह धारणा नहीं बनने देनी चाहिए कि कुछ लोग कानून से ऊपर हैं। पीठ में मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव भी थे।

जजों ने कहा–बेशक कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। पर कुछ लोगों पर ज्यादा तीखे हमले किए जाते हैं। इन दिनों यह रिवाज सा बन गया है कि कुछ लोगों को उच्च स्तर की सुरक्षा चाहिए। गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से एफआइआर पालघर साधु हत्या मामले में पूर्णबंदी के दौरान की गई उनकी टिप्पणियों को लेकर दर्ज की गई थी। गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे ने सफाई दी कि ये एफआइआर उचित नहीं है। एक ही राजनीतिक दल की तरफ से कई राज्यों में इस बाबत मामले दर्ज कराए गए हैं।

सिंघवी का तर्क था कि हाईकोर्ट ने न केवल एफआइआर पर रोक लगा दी बल्कि जांच भी निलंबित कर दी। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। राज्य सरकार को किसी आपराधिक मामले की जांच न करने का निर्देश कैसे दिया जा सकता है। सिंघवी ने जजों से अनुरोध किया कि वे देखें कि कुछ लोगों के कानून से ऊपर होने का संदेश नहीं जाना चाहिए। इस पर जजों ने कहा कि यह मौखिक बहस से जुड़ा विशुद्ध बौद्धिक मामला है। यह शस्त्रों की बरामदगी से संबंधित मामला नहीं है। आप जांच करने को तो अधिकृत हैं पर उत्पीड़न नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने दी सही मंच पर शिकायत की सलाह

सेवानिवृत्त जज कर्णन के खिलाफ याचिका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली 26 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज आर भानुमति के चेनई स्थित आवास में जबरन घुसने की कोशिश की। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाले एक पीठ ने वरिष्ठ वकील सीए सुंदरम से कहा–जो कुछ भी हुआ, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको प्रत्यावेदन और शिकायत दर्ज कराने सहित कोई भी उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

सुंदरम दिल्ली तमिल एडवोकेटस एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका पर अदालत में अपना पक्ष पेश कर रहे थे। वकीलों के इस समूह ने याचिका हाईकोर्ट के पूर्व जज सीएस कर्णन के आचरण के खिलाफ दायर की है। कर्णन मद्रास हाईकोर्ट में जिस समय जज थे तो उन्हें कोलकाता जेल में छह महीने के कारावास की सजा भुगतनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए यह सजा दी थी। कर्णन 2017 में सेवानिवृत्त हो गए थे। न्यायमूर्ति आर भानुमति इस साल सुप्रीम कोर्ट जज के पद से जुलाई में सेवानिवृत्त हुई थी। तमिलनाडु उनका गृह राज्य है।

Form No. INC-26

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of the Companies Act, 2013 and Rule 30(6)(a)of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

And

In the matter of **M/s V.T. CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED** having its registered office at **6/9, OLD RAJINDER NAGAR NEW DELHI DL 110060 IN**

...........Applicant Company

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Central Government, power delegated to Regional Director under Section 13(4)of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special resolution passed by way of Extra-ordinary General Meeting of the Company held on **06.10.2020** to enable the Company to shift its registered office from the **"National Capital Territory of Delhi** to the **"State of Uttar Pradesh (U.P.)"**.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed shifting of registered office of the Company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the **Regional Director, Northern Region, B-2 WING, 2nd Floor Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi– 110003** within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its registered office at the address mentioned above.

For and on behalf of
M/s V.T. CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
Sd/-
Surya Kant Singh (Director)
DIN: 00151464

Date: 27/10/2020
Place: New Delhi

सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं, शिवसेना ने पूछा

मुंबई, 26 अक्तूबर (भाषा)।

कांग्रेस द्वारा वीडी सावरकर की आलोचना पर चुप्पी के लिए भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधे जाने के एक दिन बाद शिवसेना ने पलटवार करते हुए सोमवार को पूछा कि भाजपा ने पूर्व हिंदुत्व विचारक को अब तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया? कांग्रेस राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना की सहयोगी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में तीसरा सहयोगी दल है। संवाददाताओं से शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 'महान और हिंदुत्ववादी नेता' सावरकर को दिया जाना चाहिए। शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली के दौरान रविवार को पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कोविड–19 की स्थिति की वजह से विशाल शिवाजी पार्क की जगह यहां दादर इलाके में सावरकर हॉल में अपना संबोधन दिया था।

प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता केशव उपाध्ये ने बाद में सत्ताधारी दल पर सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौते का आरोप लगाया। उपाध्ये ने कहा, 'उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस द्वारा सावरकर की आलोचना पर एक शब्द नहीं कहा और अब उन्हें सावरकर प्रेक्षागृह से दशहरा रैली को संबोधित करना पड़ा।' उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने सोमवार को कहा कि शिवसेना 'कभी सावरकर से जुड़े मुद्दों पर चुप नहीं रही और कभी ऐसा करेगी भी नहीं।' भाजपा का नाम लिए बगैर राउत ने कहा कि पार्टी को सावरकर पर शिवसेना के रुख को लेकर इतिहास खंगालना चाहिए। राज्यसभा सदस्य ने कहा, 'वीर सावरकर हमेशा से शिवसेना और हिंदुत्व के प्रेरक रहे हैं। जो लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं। वे वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं देते?' राउत ने जानना चाहा, 'आपने अपने पिछले छह साल से शासन में कई लोगों को यह पुरस्कार दिया। वीर सावरकर को भारत रत्न देने में आपको क्या परेशानी थी?' महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बाद पिछले साल शिवसेना ने राज्य में लंबे समय से उसकी सहयोगी रही भाजपा का दामन छोड़ दिया था। शिवसेना ने सत्ता में साझेदारी और बारी–बारी से मुख्यमंत्री पद संभालने के मुद्दे पर एक राय न होने के बाद यह कदम उठाया था।

मयूर विहार शाखा
13/14, श्री बालाजी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पॉकेट–II, फेज–I, मयूर विहार, दिल्ली– 91
दूरभाष: 011–22753401, 011–28822191,
ईमेल: mayurvihar-newdelhi@bankofindia-co-in

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI Bank of India

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) [देखें नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक ऑफ इण्डिया, मयूर विहार शाखा, 13/14, श्री बाला जी शॉपिंग काम्पलेक्स, पॉकेट–।।, फेज–।, मयूर विहार, दिल्ली–91, की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 के नियम 8 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10.01.2020 को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी श्री अख्तर अली को नोटिस में वर्णित बकाया राशि रू. 18,33,452.94/– (रुपये अठारह लाख तैंतिस हजार चार सौ बावन और चौरानवे पैसे मात्र) दिनांक 31.12.2019 तक देय राशि व इस से आगे का ब्याज, व्यय एवं अन्य शुल्कों सहित उक्त नोटिस मिलने की तारिख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा(4), सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नियमों के अन्तर्गत दिए गये अधिकारों का उपयोग करते हूए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा दिनांक 21.10.2020 को ले लिए है।

ऋणी को विशेष रूप से जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्ति से सम्बन्धित कोई लेन–देन न करें तथा संपत्ति में किया गया कोई भी लेन–देन बैंक ऑफ इण्डिया, के बकाया राशि रू. 18,33,452.94/– (रुपये अठारह लाख तैंतिस हजार चार सौ बावन और चौरानवे पैसे मात्र) माँग नोटिस की तिथि दिनांक 31.12.2019 तक देय राशि व इस से आगे का ब्याज, व्यय एवं अन्य शुल्कों सहित।

अचल संपत्तियों का विवरण

ए–52, ब्लॉक–ए, शालीमार गार्डन मुख्य, गाँव– पसौंडा साहिबाबाद, परगना– लोनी, गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित फ्लैट से मिलकर संपत्ति के सभी भाग व अंश, 100 वर्ग गज क्षेत्रफल (83.61 वर्ग मीटर) श्री अख्तर अली पुत्र मोहम्मद इलियास के स्वामित्व में हैं।(उधारकर्ता और बंधक)

चोहद्दी:
उत्तर में: प्लॉट सं सर्विस लेन, **पूर्व में: प्लॉट सं. 51**
दक्षिण में: प्लॉट सं. 40 फुट चौड़ी सड़क, **पश्चिम में: अन्य प्लॉट**

दिनांक: 21 अक्टूबर, 2020 **(राजेन्द्र सिंह)**
स्थान: दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी और मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया**

त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड
कारपोरेट पहचान संख्या: : एल29110यूपी1995पीएलसी041834
पंजीकृत कार्यालय: ए-44 हौजरी काम्पलैक्स, फेस II विस्तार, नौएडा-201305, उ० प्र०
कारपोरेट कार्यालय: 8वीं मंजिल, एक्सप्रैस ट्रेड टावर्स, 15-16, सेक्टर - 16ए, नौएडा, उत्तर प्रदेश - 201301
वेबसाइट: www.triveniturbines.com, **ई–मेल:** shares.ttl@trivenigroup.com
दूरभाष: 91 120 4308000 / **फैक्स:** 91 120 4311010-11

सूचना

सेबी (सूची दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन 2015 के विनियमन 29 साथ में पठित विनियमन 47 के अनुसरण में एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, नवम्बर 2, 2020 को सितम्बर 30, 2020 को समाप्त कम्पनी के दूसरे तिमाही/अर्धवार्षिक के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं रिकार्ड में ग्रहण करने हेतु आयोजित की जानी तय की गई है।

कम्पनी आचार संहिता के संदर्भ में विनियमित देखरेख एवं अंनरूनी द्वारा रिर्पोट ट्रेडिंग, कम्पनी की इक्वीटी शेयर्स की व्यवहारी ट्रेडिंग खिड़की 1 अक्टूबर 2020 से सितम्बर 30, 2020 को समाप्त कम्पनी के दूसरे तिमाही/अर्धवार्षिक के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटों तक बंद रहेंगी।

मंडल की बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाईटस (www.triveniturbines.com) एवं साथ में बीएसई लिमिटेड की वेबसाईटस (wwwbseindia.com) एवं दि नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाईटस (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृते त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड
हस्ता०/–
राजीव साहनी
कम्पनी सचिव

स्थान : नौयडा (उ० प्र०)
तिथि : अक्टूबर 26, 2020

फॉर्म नं. आईएनसी–26
(कंपनीज (समामेलन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए विज्ञापन
केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (समावेश) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
क्लेरियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका पंजीकृत कार्यालय: टॉवर–बी, वर्ल्ड मार्क–1, ऐरासिटी नई दिल्ली साउथ वेस्ट दिल्ली 110037 के मामले में,
(याचिकाकर्ता)

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को "महाराष्ट्र राज्य" में हस्तांतरित करने में सक्षम होने के लिए मंगलवार, 23 जून, 2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सुनिश्चितीकरण के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन करना प्रस्तावित किया है।

कोई व्यक्ति जिसकी अभिरूचि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होती हो, तो वह अपनी अभिरूचि की प्रकृति और विरोध के आधार को बताते हुए हलाफनामे द्वारा समर्थित अपने विरोध को निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) या पंजीकृत डाक द्वारा आवेदक कंपनी के नीचे वर्णित पते पर इसके पंजीकृत कार्यालय को एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 को भेज या डिलीवर कर सकते हैं।

क्लेरियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टॉवर–बी, वर्ल्ड मार्क–1, ऐरासिटी नई दिल्ली साउथ वेस्ट दिल्ली 110037 में
या नीचे वर्णित ई–मेल पर इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा :–
vivek.bansal@faurecia.com

बोर्ड की ओर से और उन्हीं के लिए
हस्ता./–
विवेक कुमार बंसल
कंपनी सचिव व डब्ल्यूटीडी

दिनांक : 11.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

गुमशुदा की तलाश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम **हरीश लाल, पुत्र** दिवानू राम, **निवासी:** गांव–सरकोट, पोस्ट–भरारी सेन, जिला–चमौली, उत्तराखण्ड है, जो कि थाना क्षेत्र महरौली, नई दिल्ली से लापता है। जिसका ब्यौरा इस प्रकार है **उम्र:** 19 वर्ष, **कद:** 5'2", **रंग:** साफ, **चेहरा:** गोल, **शरीर:** पतला, जिसने पीले रंग की टी–शर्ट और नीले रंग का पजामा पहना है। इस संदर्भ में **FIR No. 636/20, दिनांक 02.10.2020 को थाना महरौली, नई दिल्ली में दर्ज है।**
हर संभव कोशिश के बाद भी इस लड़के का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अगर किसी को इस लड़के के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित फोन नम्बरों पर सूचित करें।

वेबसाईट: http://cbi.nic.in
ई–मेल: cic@cbi.gov.in
फैक्स: 011-24368639
फोन नं.: 011-24368638, 24368641
DP/260/SD/2020

थानाध्यक्ष
थाना महरौली,
नई दिल्ली
फोन: 011-26645050, 26643200

एनकोर एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी)
earc
पाँचवीं मंजिल, प्लॉट सं. 137, सेक्टर 44, गुरुग्राम–122002, हरियाणा
(ईएआरसी–ईओटी–001–ट्रस्ट के ट्रस्टी की अपनी क्षमता में कार्यरत)

ई–नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि एन्कोर एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, अपनी क्षमता में ईएआरसी–ईओटी–001–ट्रस्ट ("प्रतिभूत लेनदार") के रूप में कार्यरत के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी के कब्जे में है, की बिक्री (i) श्री तेजपाल सोनी (ii) लता सोनी पत्नी तेजपाल सोनी (iii) मैसर्स चारू ज्वेलर्स (कर्जदार) के पास प्रतिभूत लेनदार के बकाया 30.06.2020 तक रु. 41,12,275 (रुपये इकतालीस लाख बारह हजार दो सौ पचहत्तर मात्र) एवं वास्तविक वसूली की तिथि तक 01.07.2020 से उस पर भावी ब्याज, प्रयोज्य लागतों एवं प्रभारों की वसूली के लिए 17.11.2020 को "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि का विवरण निम्नलिखित है :

अचल प्रतिभूत आस्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (रु. में)
प्लॉट सं. 9–बी, सूरज नगर योजना, झोटवाड़ा, कालावाड़ रोड, जयपुर, राजस्थान का सम्पूर्ण भाग, माप 88.88 वर्ग गज, निर्मित क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट तथा उस पर संरचना, सीमाएं : पूर्व : प्लॉट सं. 9, पश्चिम : प्लॉट सं. 10, उत्तर : 30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : प्लॉट सं. 9ए	रु. 31,00,000/– (रुपये इकतीस लाख मात्र)	रु. 3,10,000/– (रुपये तीन लाख दस हजार मात्र)

यदि ई–नीलामी की तिथि को सार्वजनिक अवकाश होता है तो तिथि अगले कार्यदिवस तक स्वतः ही विस्तारित हो जायेगी।

विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट http://www.encorarc.com/ का सन्दर्भ लें।

किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए इच्छुक पक्षकार प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी से मोबाइल नं. 9873181249 या ई–मेल : **sachin.kumar@encorearc.com** पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ह./–
अधिकृत प्राधिकारी
एन्कोर एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक : 26.10.2020
स्थान : गुरुग्राम

उत्कृष्ट संस्थानों को पुरस्कृत करने का तंत्र विकसित होगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 26 अक्तूबर।

देश के उत्कृष्ट संस्थानों (आइओई) को पुरस्कृत करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक तंत्र विकसित करेगा। इसके अलावा इन संस्थानों में होने वाले उत्कृष्ट शोधों को एक स्थान पर लाने के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। ये निर्णय केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एक बैठक में लिए गए। बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी मौजूद थे।

इस बैठक में उत्कृष्ट संस्थानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय शिक्षकों की भर्ती को तेज करने के तरीकों पर चर्चा हुई। इन संस्थानों के उत्थान के संकेतकों को टाइम्स उच्च शिक्षा रैंकिंग व क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक तय किया जाएगा। उत्कृष्ट संस्थानों को पुरस्कृत करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा। इन संस्थानों में होने वाले उत्कृष्ट शोधों को एक स्थान पर लाने के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा नई शिक्षा नीति को संस्थानों में लागू किया जाएगा।

आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना
सेंचुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
सीआईएन : U74899DL1995PLC068152
पंजीकृत कार्यालय : 1/5783, बलबीर नगर, शाहदरा, दिल्ली–110032
ऋणशोध अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 के तहत आस्तियों की बिक्री
विवेक रहेजा, परिसमापक द्वारा

परिसमापक का पंजीकृत पता : जेडी 2सी, दूसरी मंजिल, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034
सम्पर्क का पता : ओसरिक रिजॉल्यूशन प्रा.लि., 908, नवीं मंजिल, डी मॉल, एनएसपी, पीतमपुरा, दिल्ली–110034
ई–नीलामी की तिथि एवं समय : 03.11.2020 को 12.00 बजे अप. से 02.00 बजे अप. तक
(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)
दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय : 31.10.2020

परिसम्पदा का भाग निर्मित करने वाली सेंचुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड की आस्तियों की बिक्री माननीय एनसीएलटी, प्रधान पीठ के आदेश दिनांक 3 दिसम्बर, 20219 द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा ऋणशोध अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत संचालित की जायेगी। आस्तियों की बिक्री ई–नीलामी प्लेटफॉर्म https://eauctions.org के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। बिक्री हेतु आस्तियों तथा परिसम्पत्तियों का विवरण निम्नलिखित है :

राशि रु. लाख में

आस्ति	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	वृद्धि राशि
बांद्रा, मुम्बई पर वाणिज्यिक कार्यालय अचल सम्पत्ति से निर्मित सम्पूर्ण भाग, यूनिट नं. 503, 5वीं मंजिल, सम्पूर्ण छठी मंजिल आंशिक टेरेस सहित, 7वीं मंजिल पर सम्पूर्ण टेरेस, लैण्डमार्क बिल्डिंग, बांद्रा, मुम्बई में स्थित	A	1857.50	185.75	5
अंधेरी, मुम्बई में वाणिज्यिक कार्यालय अचल सम्पत्ति से निर्मित सम्पूर्ण भाग, कार्यालय सं. 1 से 7, 8वीं मंजिल, लोटस बिजिनेस पार्क, अंधेरी पश्चिम, मुम्बई में स्थित।	B	635.80	63.58	2
चेन्नई में वाणिज्यिक कार्यालय स्थान अचल सम्पत्ति से निर्मित सम्पूर्ण भाग, भूमि के 2.183 एकड़ में से 4.0125% अर्थात 3,815.55 वर्ग फीट का अविभाजित हिस्सा, 6ठी मंजिल, जयंत टेक पार्क, नन्दनबक्कम, चेन्नई	C	481.00	48.10	2

बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं :

1. ई–नीलामी "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है", "जो भी है वही है" तथा "उपचार रहित आधार" पर की जायेगी। यह बिक्री अनुमोदित ई–नीलामी सेवा प्रदाता अर्थात https://eauctions.org के माध्यम से बिना किसी वारंटी तथा इंडेम्निटी के है।
2. उपर्युक्त सन्दर्भित सम्पत्तियों प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अटैचमेंट का विषय हैं। अधिक विवरण के लिए कृपया https://eauctions.org पर नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज देखें।
3. आस्तियों के विवरण, ई–नीलामी संविदा प्रपत्र, घोषणा एवं अंडरटेकिंग प्रपत्र, ई–नीलामी के नियम एवं शर्तों सहित सम्पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://eauctions.org पर उपलब्ध हैं।
4. अधिक विवरण के लिए इच्छुक व्यक्ति परिसमापक से निम्नलिखित विवरण पर ई–मेल : vivek@vpgs.in, ip.centurycommunication@gmail.com, सम्पर्क नं. 011 4175 4949 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ह./–
विवेक रहेजा, परिसमापक
सेंचुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड

तिथि : 21.10.2020
स्थान: दिल्ली आईबीबीआई पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00055/2017-18/10133

एस आर एफ लिमिटेड
SRF
सीआईएन: L18101DL1970PLC005197
पंजीकृत कार्यालय: द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091
कॉर्पोरेट कार्यालय: ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुड़गांव-122003
फोन: +91-124-4354400, फैक्स: +91-124-4354500
ई-मेल: cs@srf.com; वेबसाइट: www.srf.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 एवं लागू होने योग्य अन्य प्रावधानों के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, बुधवार, 4 नवम्बर 2020 को, अन्य बातों के अतिरिक्त, 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष हेतु अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन हेतु आयोजित की जाएगी।

सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com एवं एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड www.nseindia.com एवं बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते **एस आर एफ लिमिटेड**
हस्ता./–
रजत लखनपाल
वीपी (कॉर्पोरेट अनुपालन)
एवं कम्पनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 26 अक्टूबर, 2020

रेजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड
CIN: U85110UP1987PLC008792
पंजी. कार्या. ए–2, सर्वोदय नगर, कानपुर
Ph: 0512-3501111, Fax: 0512-2213407
Email: investor@regencyhealthcare.in, Website: www.regencyhealthcare.in

वीसी (वीडियो क्रांफ्रेसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो वीडियो विजुअल माध्यम) द्वारा आयोजित की जाने वाली रेजेंसी हॉस्पिटल की 31वीं एजीएम

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 31वीं एजीएम (वार्षिक आम बैठक) सूचना में वर्णित अनुसार साधारण व विशेष व्यापार के लिए निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी साधारण परिपत्र सं. 14/2002, 17/2020, 20/2020 और अन्य लागू नियमों और परिपत्रों के अनुसार में वीडियो क्रांफ्रेसिंग (वीसी)/अन्य अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएमवीएम) के माध्यम से शुक्रवार, 20 नवंबर, 2020 को आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है।
2. उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के सहित एजीएम की सूचना की इलैक्ट्रानिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जा चुकी है जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत/उपलब्ध हैं। अभौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों द्वारा अपने संबंधित डिपोजिटरीज के साथ अपने ई–मेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकृत कराने का अनुरोध है। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारक कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि. डी–153/ए, पहली मंजिल, फेज 1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली, दिल्ली 110020 टेलीफोन : 011–40450193–19 ई–मेल : admin@skylinerta.com वेबसाइट : http://www.skylinerta.com के साथ अपने ई–मेल और मोबाइल नंबर देने का अनुरोध है।
3. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://regencyhealthcare.in/investor-relations और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।
4. शेयरधारकों को इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित अनसार व्यापार पर रिमोट रूप से वोट करने का अवसर दिया जाएगा। अभौतिक मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों के ई–मेल पंजीकृत नहीं हैं, के लिए रिमोट रूप में वोट करने का तरीका शेयरधारकों को दी गई सूचना में दी गई है। विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। शेयरधारकों से विवरण के लिए https://regencyhealthcare.in/investor-relations देखने का अनुरोध है।
5. 31वीं एजीएम की सूचना संक्षिप्त रूप में शेयरधारकों के मेल पर लागू नियमों के अनुपालन में शेयरधारकों को भेजी जाएगी।

रेजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
अंकिता गुप्ता
कंपनी सचिव

दिनांक : 26.10.2020
स्थान : कानपुर

कांग्रेस नेतृत्व कार्यकर्ताओं का विश्वास खो चुका है : विजयवर्गीय

इंदौर, 26 अक्तूबर (भाषा)।

भाजपा नेता इमरती देवी पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की विवादास्पद टिप्पणी की पृष्ठभूमि में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 73 वर्षीय कांग्रेस नेता को सोमवार को मानसिक रूप से दरिद्र बताया और दावा किया कि उनकी शब्दों की दरिद्रता से सूबे की सियासी साख खराब हुई है।

विजयवर्गीय ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'कमलनाथ के पास बहुत सारी संपत्ति है, करोड़ों रुपए हैं, पर वह मानसिक रूप से दरिद्र हैं। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से दरिद्र होता है, तो उसकी शब्दों की दरिद्रता सामने आती है।' उन्होंने इमरती देवी पर कमलनाथ की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कहा, 'कमलनाथ ने जिस तरह शब्दों की दरिद्रता दिखाई है, उससे मध्य प्रदेश की राजनीतिक प्रतिष्ठा खराब हुई है।' सूबे के कांग्रेस विधायकों का इस पार्टी से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल होने का सिलसिला जारी रहने पर विजयवर्गीय ने दावा किया कि कांग्रेस का राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास खो चुका है। उन्होंने कहा, 'अब भी बहुत सारे लोग, खासकर युवा नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आना चाहते हैं क्योंकि वे अपने सियासी भविष्य के मद्देनजर खुद को कांग्रेस में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।' विधायकों की खरीद–फरोख्त को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए विजयवर्गीय ने कहा, 'वे (कांग्रेस नेता) अपने विधायकों को खुद संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें दूसरों पर आरोप नहीं लगाने चाहिए।' उन्होंने कहा, 'अगर कांग्रेस नेता बोल रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता बिक रहे हैं, तो ऐसा कहकर वे अपने कार्यकर्ताओं का ही अपमान कर रहे हैं।'

प्रपत्र सं. आईएनसी–25ए
पब्लिक कम्पनी को प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट मंत्रालय उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के विषय में
तथा
एडवान्टा इंटरनैशनल लिमिटेड के विषय में जिसका पंजीकृत कार्यालय एच–14, उद्योग नगर इंडस्ट्रियल एरिया, रोहतक रोड, नई दिल्ली– 110041 में स्थित है ....**आवेदक**

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी इसको पब्लिक कम्पनी से प्राइवेट कम्पनी में परिवर्तित करने के संबंध में 19–10–2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी को ऐसे परिवर्तन हेतु सक्षम बनाने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के साथ पठित उक्त नियमों के अधीन एक आवेदन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छुक है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/कम्पनी की हैसियत से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके नीचे लिखे पते पर स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए :
एडवान्टा इंटरनैशनल लिमिटेड
एच–14, उद्योग नगर इंडस्ट्रियल एरिया, रोहतक रोड, नई दिल्ली–110041

कृते एवं हिते आवेदक
हस्ता./–
करण मल्होत्रा
निदेशक
डीआईएन : 01259067

तिथि : 26.10.2020
स्थान : दिल्ली

पॉली मेडिक्योर लिमिटेड
POLYMED MEDICAL DEVICES We Care As We Cure
पंजीकृत कार्यालय : 232बी, तृतीय मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली–110020
सीआईएन : L40300DL1995PLC066923, फोन : 011–26321889, फैक्स : 011–26321894
वेबसाइट : www.polymedicure.com, ई–मेल : investorcare@polymedicure.com

30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैण्डअलोन			समेकित		
		समाप्त तिमाही	समाप्त छमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त छमाही	समाप्त तिमाही
		30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2020	30.09.2019
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से सकल आय	19,384.94	35,791.70	16,823.42	20,286.00	37,670.30	17,890.32
2	कर पश्चात सामान्य गतिविधियों से निबल लाभ	3,323.53	5,885.22	2,702.24	3,500.94	6,172.00	2,840.03
3	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ (असाधारण मदों के पश्चात)	3,323.53	5,885.22	2,702.24	3,500.94	6,172.00	2,840.03
4	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	3,336.24	5,891.14	2,701.93	3,513.65	6,177.92	2,839.72
5	इक्विटी प्रदत्त शेयर पूँजी	4,412.35	4,412.35	4,412.35	4,412.35	4,412.35	4,412.35
6	आय प्रति शेयर (तिमाही वार्षिकीकृत नहीं)						
	मूल (रु.)	3.77	6.67	3.06	3.97	6.99	3.22
	डाइल्यूटेड (रु.)	3.76	6.67	3.06	3.96	6.99	3.22

नोट :

1. उपर्युक्त परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षित तथा संस्तुत किये गये और 26 अक्टूबर, 2020 को आयोजित अपनी सम्बद्ध बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किये गये।
2. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दर्ज 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.polymedicure.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
ह./–
हिमांशु बैद
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 26 अक्टूबर, 2020

www.readwhere.com